न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आरए0ए0एस0

प्रकरण संख्या–87/2022 आरसीएमएस पॉर्टल नम्बरः– 2022/207

उनवानः–

1. रामप्रकाश पुत्र भोगीराम
2. विमलेश पत्नि रामप्रकाश

जातिगण ब्राम्हण निवासीगण ग्राम गढी जवाहर तहसील मनियां जिला धौलपुर

----------वादीगण

बनाम

1. ताराचन्द पुत्र मंगला
2. शिवसिंह पुत्र जगदीश
3. वीरेन्द्र पुत्र दीवानसिंह
4. विजयसिंह पुत्र कमलसिंह
5. बनवारी पुत्र ग्याप्रसाद
6. गोपाल पुत्र ग्याप्रसाद

समस्त जातिगण कुशवाह निवासीगण ग्राम गढी जवाहर तहसील मनियां जिला धौलपुर

---------- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटी एक्ट

उपस्थिति – 1. श्री योगेश शर्मा एडवोकेट वादीगण की ओर से

दिनांक 21.03.2025

निर्णय

वादिया की ओर से यह दावा अन्तर्गत धारा 188 आरटी एक्ट इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 954 रकवा 0.2403 है0 वाके ग्राम गढी जवाहर तहसील मनियां विवादित आराजी है। वादीगण विवादित आराजी के संपूर्ण भाग के खातेदार काश्तकार है तथा काबिज होकर फसल प्राप्त कर रहे है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबध सरोकार नही है। वादीगण गांव के अल्पसंख्यक ब्राम्हण जाति से है तथा बेहद कमजोर, गरीब तथा सीधे सादे व्यक्ति है जो विवादित आराजी से फसल पैदावार प्राप्त कर रहे है। प्रतिवादीगण ने अर्सा करीब 20 दिवस पूर्व एकराय होकर विवादित आराजी के पास खड्डा पत्थर, ईंट रेत सीमेन्ट डाल दिया है। तथा वादीगण से एलानियां धमकी दी है कि वे वादीगण को विवादित अराजी से बेदखल करेंगें तथा वादीगण ने आईन्दा विवादित आराजी पर आने की तथा काश्त करने की कोशिश की तो वे वादीगण की हड्ड फसली तोड देंगे तथा वादीगण व वादीगण की पुत्रियों से भद्दी – भद्दी गालियां दी। प्रतिवादीगण, वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल करने में या अवैध पुख्ता निर्माण करने में सफल हो गए तो वादीगण को अपूर्णनीय क्षति होगी। अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह वादीगण को विवादित आराजी से बेदखल न करें काश्त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर (राज0)

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज0)

करने से न रोके अपना पुख्ता निर्माण नही करें। वादीगण के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की दखलअदांजी न करें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से किसी के उपस्थित नही होने के कारण प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

वकील वादीगण की एकपक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी ने वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रतिवादीगण की ओर से बावजूद तामील न्यायालय में कोई उपस्थित नही हुआ है और वाद को कन्टेस्ट नही किया है। वादीगण विवादित आराजी के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। जिसकी जमाबन्दी पत्रावली पर उपलब्ध है। वादीगण ने अपने कथनों के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है। वादीगण अपनी खातेदारी की आराजी में प्रतिवादीगण को पाबन्द कराना चहाते है जिसमें प्रतिवादीगण का कोई हक अधिकार निहित नही है। दावा वादीगण प्रतिवादीगण की ओर से कन्टेस्ट नही किए जाने से ही स्वतः सिद्ध है। अन्य किसी साक्ष्य की कोई आवश्यकता नही है। अतः दावा वादीगण डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे।

विद्वान वकील वादीगण को एकपक्षीय सुनने उपरान्त पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम गढी जवाहर तहसील मनियां के खाता संख्या 197 की जमाबन्दी संवत् 2076 के मुताबिक वादीगण विवादित आराजी के तन्हा खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली के अवलोकन से प्रतिवादीगण का विवादित आराजी में किसी भी प्रकार का हित निहित होना स्पष्ट नही है। खातेदार अपनी खातेदारी की आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः दावा वादीगण अंतिम डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादीगण की खातेदारी की आराजी ख.नं. 954 वाके ग्राम गढी जवाहर तहसील मनियां जिला धौलपुर में वादीगण के कब्जे काश्त में दखलदांजी एंव निर्माण कार्य नही करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा हस्ब जाफ्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 21.03.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया ।

(डॉ0 साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)